

3.5.18

पञ्जाब की आठ कोर्ट में न्याय के पेशा हुई।  
 पञ्जाब की काश्मीर पूर्व का क्षेत्र को कानून किया गया।  
 शब्द स्व रिपोर्ट का अनुसार ग्राम में न्याय  
 के श्रेणी संख्या 40, 41, 65, 70, 73, 82/7, 735/42  
 कितना 7 कुल संख्या 11.34 है के वादी एवं प्रतिवादी  
 सं. 1 से 3 रिपोर्ट के अनुसार दर्ज रिपोर्ट है। उक्त  
 वर्णित श्रेणी संशुद्ध स्वतंत्र रूप से है तथा श्रेणी का  
 विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी शब्द के  
 प्रस्तुत पत्रों के अनुसार विभाजन नहीं है।  
 धारा 53 के प्रावधान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी का  
 शब्द स्व रिपोर्ट में दर्ज होने के अनुसार विधिवत  
 विभाजन करवाने के अधिकारी है।

### आदेश

वादी एवं प्रतिवादी को पता है। प्राथमिक उक्ति  
 इस आदेश की दी जाती है कि ग्राम में न्याय की शब्द  
 में स्थित श्रेणी संख्या 40, 41, 65, 70, 73, 82/7,  
 735/42 कितना - 7 कुल संख्या 11.34 है के वादी एवं  
 प्रतिवादी सं. 1 से 3 का शब्द स्व रिपोर्ट में दर्ज होने  
 एवं कानून अनुसार स्वतंत्र का प्रावधान करते हुए  
 विधिवत विभाजन करने का आदेश दिया  
 जाता है। तदनुसार तदनुसार उक्त पुरानी  
 उक्त पुरानी की उपाय में विभाजन प्रस्ताव  
 तैयार करें तथा मध्य न्याय के से प्रतिवे में न्यायालय  
 द्वारा में पेश करें।

निर्णय आठ दिनांक 3.5.18 को कोर्ट में न्याय  
 में सुनाया गया। पञ्जाब में सल शब्द को न्याय  
 के काम हो तथा बाद तदनुसार जारी ल दफ्तर है।